उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 18 माघ, शक संवत् 1945

(07 फरवरी, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

2-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1998-1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

3-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 व 2012-2013 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

4-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2004-2005 व 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

5-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006, 2006-2007 व 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

6-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 व 1998-1999 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अब उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

7-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-अमरोहा में वाहनों की ओवरलोडिंग पर सख्त कार्यवाही कराकर इसमें संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-करनीपुर, विकास खण्ड-वजीरगंज, तहसील-तरबगंज, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से चिल्हिया पोखरा सिद्ध पीठ स्थित श्री हनुमानगढ़ी मन्दिर में टीन शेड, बाउण्ड्रीवाल, मुख्य गेट, इण्ट्रलॉकिंग सड़क, सोलर लाइट, धर्मशाला तथा पोखरा का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

9-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-न्यू रहीमाबाद, तहसील-सरोजनीनगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

10-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत नगर पालिका बिसवां, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से नगर पालिका बिसवां में आउटर बाईपास का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

11-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रमुवापुर कालिका सिंह के मजरा-वोहरा, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

12-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-शेखनापुर, ब्लाक-गोसाईगंज, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

13-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत समराही रोड, सआदतगंज, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

14-श्री राम चन्दर प्रधान, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा व विकास खण्ड-हिलौली, तहसील-पुरवा, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

15-श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-सुल्तानपुर पेराजोर,

ब्लाक-सरवनखेड़ा, तहसील-अकबरपुर (माती), जनपद-कानपुर देहात के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

16-डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्रीमती निर्मला पासवान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (अन्तिम दिवस) :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 02 फरवरी, 2024 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'ञ')

लखनऊ :
बुधवार, 18 माघ, शक संवत् 1945
(07 फरवरी, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

7 फरवरी, 2024 **विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2024) का प्रथम बुधवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	19-1-2024
*2	19-1-2024
*3	21-1-2024
*4	21-1-2024
*5	25-1-2024
*6	25-1-2024
*7	25-1-2024
*8	25-1-2024

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	19-1-2024
2	19-1-2024
3	25-1-2024

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 7 फरवरी, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के नवयुवकों को वर्तमान में सरकारी योजनायें प्रदत्त करने एवं उनसे नवयुवकों को प्राप्त लाभों के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के नवयुवकों को वर्तमान में सरकारी रोजगार दिलाये जाने की कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलित हैं, और उससे प्रदेश के नवयुवकों को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश की जेलों में बन्द बन्दियों के सापेक्ष तैनात डाक्टरों की संख्या एवं उनकी ड्यूटी के निर्धारण के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*2-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों के सापेक्ष तैनात डॉक्टरों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में डॉक्टरों की ड्यूटी प्रति घण्टे के हिसाब से निर्धारित होती है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-रायबरेली में किराये पर लिये गये गोदामों के किराये का भुगतान पुनरीक्षित दर पर नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 3 — मुख्य मंत्री

*3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जनपद-रायबरेली में किराये पर लिये गये गोदामों का किराया भुगतान पुनरीक्षित दर से कराया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय, रायबरेली को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के उपरान्त भी शासनादेश संख्या-21/2018/346/29-3-2018-जी-26/2002 दिनांक 02 मई, 2018 के अनुरूप अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण कराते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) क्या उक्त पुनरीक्षित दरों पर किराये का भुगतान कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-चन्दौली के चकिया विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामपुरकलां के राजस्व ग्राम-बेरी में राशन की दुकान का निर्माण शासनादेश के विरुद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 4 — मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-चन्दौली के चकिया विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रामपुरकलां के राजस्व ग्राम-बैरी में पंचायत भवन परिसर में पर्याप्त खाली भूमि होने के बावजूद राशन की दुकान का निर्माण शासनादेश के विरुद्ध पंचायत भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर कराया गया है ?

(ख) क्या शासनादेश के विरुद्ध हुए इस राशन के दुकान के निर्माण में खर्च हुई धनराशि की रिकवरी सम्बन्धित ग्राम प्रधान से करायेंगे ?

(ग) क्या ग्रामवासियों के द्वारा बार-बार प्रार्थना-पत्र दिए जाने के बावजूद इसका संज्ञान न लेने वाले अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह जनपद-चन्दौली व तहसील-चकिया के अधिकारियों पर कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) क्या इस निर्माण के सन्दर्भ में गलत आख्या लगाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सदन को गुमराह करने वाले खण्ड विकास अधिकारी चकिया एवं अन्य अधिकारियों पर कार्यवाही करायेंगे ?

(ङ) क्या एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर पंचायत भवन परिसर में उपलब्ध खाली भूमि का स्थलीय निरीक्षण करायेंगे ?

(च) यदि हाँ, तो क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने के लिये न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर 5 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*5-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) क्या बोर्ड के गठन के उपरान्त बोर्ड ने अपनी सलाह/रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

(ङ) यदि हाँ, तो क्या उसके अनुसार मजदूरी बढ़ा दी गई है ?

(च) यदि हाँ, तो वर्तमान में मजदूरी की दरों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रदेश में खनन विभाग में दिनांक 30 जून, 2023 के बाद कितने सरकारी अफसरों के ट्रान्सफर के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 6 — मुख्य मंत्री

*6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में खनन विभाग में दिनांक 30 जून, 2023 के बाद कितने सरकारी अफसरों के ट्रान्सफर किये गये हैं ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी दिनांक 01-01-2023 से 31-12-2023 के मध्य सेवाकाल में दिवंगत हुये, के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल 7 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में कार्यरत कुल कितने कर्मचारी/अधिकारी दिनांक 01-01-2023 से 31-12-2023 के मध्य सेवाकाल में दिवंगत हुए हैं ?

(ख) उक्त का विवरण क्या है तथा क्या इनके आश्रितों को मृतक आश्रित का लाभ प्रदान कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उ0 प्र0 में मजदूरों को उनकी असामयिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को कृषकों की तरह आर्थिक मदद के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर
8

*8-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में मजदूरों को उनकी असामयिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को कृषकों की तरह आर्थिक मदद दी जाती है ?

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ?

(ग) यदि नहीं, तो मजदूरों को भी कृषक दुर्घटना बीमा की भाँति मजदूर दुर्घटना बीमा प्रदान कराकर आर्थिक मदद का प्राविधान करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

अतारांकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह
1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में महमूदाबाद से सिधौली मार्ग पर रोडवेज बसों के अभाव में आम जनता को यात्रा करने में कठिनाई होती है और डग्गामार वाहन इसका अनुचित लाभ उठाते हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पर्याप्त रोडवेज बसों का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री पवन कुमार सिंह
2

2-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि बीधनपुर (कोडा), तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर में कितने व्यक्तियों ने ई-श्रम कार्ड बनवाने हेतु आवेदन किये हैं ?

(ख) उक्त आवेदित ई-श्रम कार्ड धारकों के खातों में कितनी-कितनी धनराशि भेजी जा रही है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
3

3-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, ब्लाक-कसमण्डा मुख्य मार्ग से 4 किमी0 दूर है, वहाँ परिवहन की कोई सुविधा न होने से ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बसों का संचालन करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत तहसील-तरबगंज, विकास खण्ड-वजीरगंज के ग्राम सभा-करनीपुर में चिल्हिया पोखरा सिद्ध पीठ स्थित श्री हनुमानगढ़ी मन्दिर में टीन शेड, मन्दिर का बाउण्ड्रीवाल, मुख्य गेट, इण्टरलॉकिंग सड़क, सोलर लाइट, धर्मशाला तथा पोखरा का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-करनीपुर, विकास खण्ड-वजीरगंज, तहसील-तरबगंज, जनपद-गोण्डा के मूल निवासी है। ग्राम सभा-करनीपुर, में चिल्हिया पोखरा सिद्ध पीठ स्थित श्री हनुमानगढ़ी मन्दिर अपने में अत्यन्त पौराणिक महत्व रखता है। वहां के लोगों की मन्दिर के प्रति बहुत बड़ी आस्था है, मन्दिर में श्रद्धालुओं का आना-जाना हमेशा लगा रहता है तथा मान्यताओं के आधार पर इस स्थल पर कथा भागवत व अन्य धार्मिक कार्य निरन्तर होता रहता है, जिससे श्री हनुमानगढ़ी मन्दिर श्रद्धालुओं के लिये समुचित व्यवस्था का अभाव होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिसके लिये वहां के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया, किन्तु आज तक शासन से कोई कार्यवाही नहीं हुयी जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम सभा-करनीपुर में चिल्हिया पोखरा सिद्ध पीठ स्थित श्री हनुमानगढ़ी मन्दिर में टीन शेड, मन्दिर का बाउण्ड्रीवाल, मुख्य गेट, इण्टरलॉकिंग सड़क, सोलर लाइट, धर्मशाला तथा पोखरा का सौन्दर्यीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-ग्राम-न्यू रहीमाबाद, सरोजनीनगर में लगभग 200 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम-न्यू रहीमाबाद, तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ के मूल निवासी हैं। श्री अवधेश यादव के कारखाने के बगल से श्री रतन सिंह के मकान तक लगभग 200 मीटर रोड काफी खराब है, मार्ग पर चहला, कीचड़ व कचरा रहता है। जिस पर गांव व क्षेत्र के लोगों का बराबर आवागमन होता है। मार्ग खराब होने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना पड़ रहा है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-न्यू रहीमाबाद, सरोजनीनगर में लगभग 200 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत नगर पालिका-बिसवां में आउटर बाई-पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड-बिसवां, जनपद-सीतापुर के मूल निवासी हैं। हमारे विकास खण्ड-बिसवां में आउटर बाई-पास न होने के कारण भारी वाहनों के प्रवेश से प्रतिदिन लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। कस्बे के अन्दर सड़कें अत्यन्त संकरी हैं। वाहनों का भार अत्यधिक होने से यात्रियों के आवागमन में कठिनाई होती है। चीनी मिल के चालू होने के कारण गन्ना ढुलाई वाहनों की संख्या बढ़ने से समस्या विकराल रूप ले लेती है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि विकास खण्ड-बिसवां में आउटर बाई-पास का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा के ग्राम पंचायत-रमुवापुर कालिका सिंह के मजरा-वोहरा में डामर रोड से पासिन पुरवा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि विकास खण्ड रेउसा, जनपद सीतापुर के ग्राम पंचायत-रमुवापुर कालिका सिंह के मजरा-वोहरा में डामर रोड से पासिन पुरवा तक का रास्ता अत्यन्त खराब है, जिस कारण जनमानस को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं प्रतिदिन दुर्घटनायें भी होती रहती हैं।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-रमुवापुर कालिका सिंह के मजरा-वोहरा में डामर रोड से पासिन पुरवा तक सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत तहसील-मोहनलालगंज, विकास खण्ड-गोसाईगंज के ग्राम पंचायत-शेखनापुर में श्री दयाराम के घर से पक्के नाले तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय अवगत कराना है कि हम सभी ग्राम पंचायत शेखनापुर विकास खण्ड-गोसाईगंज जनपद-लखनऊ के निवासी है। अवगत कराना है कि -

1-यह कि प्रार्थीगण के घरों से निकलने वाले गन्दे पानी की निकासी की नाली नहीं बनी होने के कारण घरों के आस-पास पानी भरा रहता है, जिससे गांव के लोग बीमार होते हैं और सभी गांव के लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना पड़ता है।

2-घरों से निकलने वाले गन्दे पानी की नाली बनवाने के लिए प्रधान से कहा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा ग्राम के विकास कार्य के लिये किसी तरह का रुपया नहीं आता है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत-शेखनापुर में श्री दयाराम के घर से पक्के नाले तक नाली का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत समराही रोड, सआदतगंज में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि समराही रोड, सआदतगंज, लखनऊ के अन्तर्गत नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि समराही रोड, सआदतगंज में नाली व सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तहसील पुरवा, विकास खण्ड व ग्राम सभा हिलौली में श्री सत्यनारायण कुरील के मकान से हिलौला रजवाहा माइनर तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण विकास खण्ड व ग्राम सभा हिलौली, तहसील पुरवा के निवासी हैं। प्रार्थीगणों ने ग्राम सभा-हिलौली में श्री सत्यनारायण कुरील के मकान से हिलौला रजवाहा माइनर तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया है। सड़क न होने के कारण प्रार्थीगणों सहित स्कूल के बच्चों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है तथा आये-दिन दुर्घटना होती रहती है। इस हेतु समग्र विकास योजना में पर्याप्त स्तर पर धनराशि उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि विकास खण्ड व ग्राम सभा हिलौली में श्री सत्यनारायण कुरील के मकान से हिलौला रजवाहा माइनर तक लगभग 400 मीटर इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत तहसील अकबरपुर (माती), विकास खण्ड-सरवनखेड़ा के ग्राम व पोस्ट-सुल्तानपुर पेराजोर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी ग्रामवासी ग्राम व पोस्ट सुल्तानपुर पेराजोर कानपुर देहात के निवासी हैं। सुल्तानपुर पेराजोर के पूर्वी किनारे में सड़क सही नहीं होने के कारण रास्ते में जलभराव रहता है जिसके कारण वाहन ही नहीं हम सभी लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल है। जलभराव से बचने के लिये उपरोक्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम व पोस्ट-सुल्तानपुर पेराजोर में सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ञ'

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	श्री लाल बिहारी यादव, नेता समाजवादी पार्टी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :-
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-
		1-1993 से 2000 तक तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण के सम्बन्ध में,
		2-शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में,
		3-माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों को सरकार द्वारा मानदेय देने के सम्बन्ध में,
		4-मान्यता के नयी शर्तों के लागू होने की तिथि के पूर्व मान्यता के आवेदन को पुरानी मान्यता शर्तों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में,
		5-कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,
		6-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार, डकैती, चोरी व लूट, हत्या, जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,
		7-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,
		8-महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,
		9-महिलाओं और युवतियों के लिये बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुदृढ़ योजना के सम्बन्ध में,
		10-निरन्तर बढ़ रहे साइबर क्राइम की रोकथाम के सम्बन्ध में,
		11-दिन-प्रतिदिन बढ़ती महंगाई की रोकथाम के सम्बन्ध में,
		12-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,
		13-किसानों के लिये सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,
		14-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		15-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		16-किसानों को खाद, बीज व पानी की उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		17-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाल पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में, 18-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में, 19-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 20-सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में, 21-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में, 22-चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाओं एवं दवाओं का अभाव तथा ग्रामीण अंचलों के अधिकांश चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में, 23-नकली दवाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में, तथा 24-बुनकरों को सस्ती एवं फिक्स दर पर विद्युत दिये जाने एवं सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।''
2	सर्वश्री नरेश चन्द्र उत्तम, मुकुल यादव, राजेन्द्र चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, मान सिंह यादव, जासमीर अंसारी, आशुतोष सिन्हा व श्री शाहनवाज खान।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित पर चर्चा नहीं की है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 3-बिजली की खराब व्यवस्था को सुधारने व विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा बढ़ी हुई विद्युत दरों को कम किये जाने के सम्बन्ध में, 4-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार को रोकने के सम्बन्ध में, 5-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 6-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 7-पूर्ववर्ती सरकार की भाँति जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में, 8-सरकार द्वारा नये धान, गेहूं खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में, 9-शिक्षा का स्तर सुधारने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

10-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

11-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति और बुनकरों को किसानों की भाँति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

12-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-चीनी मिलें समय से चलाये जाने के सम्बन्ध में,

14-प्रदेश में पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में,

15-छात्र-छात्राओं के लिए लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-श्रमिकों के परिवारों को मुफ्त दवा तथा मुफ्त शिक्षा का प्राविधान न किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न मदों में फिजूलखर्ची रोके जाने के सम्बन्ध में,

18-दिव्यागों को शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में,

19-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

20-प्रदेश में जातिवार जनगणना कराये जाने के सम्बन्ध में,

21-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गड्ढामुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

24-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

25-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

26-गन्ना क्रय अधिनियम का घोर उल्लंघन एवं माफियाओं द्वारा गन्ना किसानों के शोषण के सम्बन्ध में,

27-प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

29-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखा कर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

30-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

31-बिजली लगने (करन्ट से) हुयी मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम दस लाख रुपये दिये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

32-प्रदेश में बिक रही नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध मे,

33-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की अवैध वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

34-प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

35-आवारा पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को दस लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में,

36-दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादकों का बकाया पैसे का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में,

37-किसानों को सिचांई हेतु मुफ्त बिजली उपलबध कराये जाने के सम्बन्ध में,

38-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

39-अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृत्ति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

40-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलालों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

41-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

42-राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिचांई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

44-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमें पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

45-स्थानान्तरण उद्योग के सम्बन्ध में,

46-पिछली सरकार द्वारा विभिन्न नदियों पर स्वीकृत पुलों तथा विभिन्न मार्गों पर स्वीकृत फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में,

47-प्रदेश में धान एवं गेहूं खरीद में हो रही अनियमिताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

48-प्रदेश के सभी प्रमुख उद्योगों का प्रदेश से पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में,

49-फलों व सब्जी एवं दुधारू पशुओं के आक्सीटोसिन इंजेक्शन व इसके फार्मूले से तैयार किसी भी प्रकार के इंजेक्शन पर पाबन्दी लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		50-प्रदेश की अनियंत्रित यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करते हुए चुस्त-दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		51-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नही कहा गया है,
		52-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		53-प्रदेश में रासायनिक खाद विशेष रूप से डी0ए0पी0 एवं यूरिया के अभाव एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में,
		54-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		55-व्यापारियों को सेवा एवं माल कर से उत्पन्न परेशानी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,
		56-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमीलेयर आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,
		57-प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,
		58-किन्नर समाज कल्याण के बारे में,
		59-क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में,
		60-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,
		61-मत्स्य पालन हेतु अनाधिकृत रूप से कब्जा हुए तालाबों से अवैध कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में,
		62-किसानों को पराली (धान-गन्ना) जलाये जाने पर उत्पीड़न के सम्बन्ध में,
		63-भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में,
		64-पिछले वर्ष विधान मण्डल द्वारा सपारित बजट को अब तक न खर्च कर पाने के सम्बन्ध में, तथा
		65-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।"
3	श्री भीमराव अम्बेडकर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :-
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :-
		1-उत्तर प्रदेश में अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों व शिक्षकों को पुरानी पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में,
		2-उत्तर प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के नियन्त्रण के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

3-प्रदेश में बिजली की दरों में बेतहाशा की जा रही वृद्धि को कम किये जाने के सम्बन्ध में,

4-प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,

5-प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु राज्य परामर्शी समिति स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

6-प्रदेश के किसानों की उपज को बढ़ावा देने हेतु उन्हें प्रसंस्कृत व हाईब्रिड किस्म के बीजों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

7-सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव है, उसका समाधान किये जाने के सम्बन्ध में,

8-प्रदेश के किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

9-लोकतान्त्रिक ढंग से प्रदर्शन एवं अनशन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर संगीन अपराधों में मुकदमें दर्ज करके जेल भेजे जाने के सम्बन्ध में,

10-प्रदेश में एन्टी भू-माफिया के नाम पर गरीबों को बेघर करने से रोके जाने के सम्बन्ध में,

11-बढ़ते बालात्कार की घटनाओं एवं महिलाओं के उत्पीड़न को रोके जाने के सम्बन्ध में,

12-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने के सम्बन्ध में,

13-एम0एस0पी0 के अनुसार किसानों के उत्पाद क्रय सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में,

14-दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्यचार को रोके जाने के सम्बन्ध में,

15-डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में,

16-मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के सम्बन्ध में,

17-गन्ना की कीमतों में बढ़ोत्तरी किये जाने के सम्बन्ध में,

18-गन्ना मूल्य के बकाये के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में,

19-किसानों के धान एवं गेहूं खरीद में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में,

20-बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

21-माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के सम्बन्ध में,

22-प्रदेश में भंयकर पेयजल की समस्या के निदान के सम्बन्ध में,

23-प्रदेश में नौजवानों के खेल-कूद की सुविधा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

24-गरीबों को आवास देने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		25-पशुधन विकास हेतु किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,
		26-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,
		27-प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सालयों में चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,
		28-अग्नि से पीड़ित व्यक्तियों को मकान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,
		29-जाति के आधार पर किये जा रहे भेद-भाव को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		30-खाद्य वितरण प्रणाली में हो रही अनियमितता को रोके जाने के सम्बन्ध में,
		31-महामाया बालिका आशीर्वाद योजना को पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,
		32-प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से चयन किये जाने वाली सड़कों में विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का प्रस्ताव नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में,
		33-किसानों को खाद, बीज व पानी उपलब्धता समयबद्ध सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,
		34-किसानों को खाद्य एवं बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,
		35-ऊसर तथा बंजर भूमि के सुधार के सम्बन्ध में योजना लागू करने के सम्बन्ध में,
		36-प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्र वृत्ति एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में,
		37-आये दिन पेट्रोल, डीजल के बढ़ाये जा रहे दामों पर से राज्य सरकार द्वारा लिये जा रहे टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		38-बढ़ी हुई गैस के दाम पर राज्य सरकार द्वारा ली जा रही टैक्स को हटाये जाने के सम्बन्ध में,
		39-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण की सुविधा बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,
		40-प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरूस्त करने के सम्बन्ध में,
		41-प्रदेश के सभी राजमार्गों व ग्रामीण मुख्य मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में,
		42-प्रदेश में नकली दवाइयों की रोक-थाम के सम्बन्ध में,
		43-प्रदेश में शराब को पूरी तरह प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		44-प्रदेश के श्रमिकों की मजदूरी की दर बढ़ाये जाने के लिए मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में, 45-मजदूरों व छोटे कारोबारियों द्वारा लिये गये सम्पूर्ण कर्जे को माफ करने के सम्बन्ध में, 46-प्रदेश में सरकारी डाक बंगलों की देख-रेख कर उन्हें व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में, 47-प्रदेश के मुख्य शहरों व चौराहों पर भिक्षाटन करने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवकोपार्जन देने के सम्बन्ध में, 48-रायबरेली के अनुसूचित जाति छात्रावास का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में, 49-प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 50-प्रदेश में सफाई कर्मियों की गटर साफ करने के दौरान हो रही मौतों को रोकने व उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, 51-कृषि महाविद्यालय हरदोई में शिक्षा सत्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में, 52-लखीमपुर खीरी में भूमिहीन लोगों को दिये गये भूमि के पट्टों को संक्रमणीय भूमिघर के रूप में दर्ज कराने के सम्बन्ध में, 53-भर्थना, जनपद-इटावा में बाईपास रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में, 54-पंचनद इटावा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में, 55-महेवा, जनपद-इटावा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में, 56-इकदिल, जनपद-इटावा में नया विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में, 57-अग्नि एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 58-औरैया, दिबियापुर में औधोगिक कारीडोर को विकसित करने के सम्बन्ध में, 59-औरैया में उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 60-प्रदेश में भारत रत्न बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर पार्को में किये अवैध सरकारी व गैर सरकारी कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।''
4	श्री राज बहादुर सिंह चन्देल व डा0 आकाश अग्रवाल।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए :- ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल जी द्वारा अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है :- 1-कि प्रदेश के सभी बच्चों को माध्यमिक स्तर तक गुणवत्ता एवं समान शिक्षा देने हेतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने तथा पड़ोसी विद्यालय प्रणाली को लागू कराने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

2-कि मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को पूर्ण सरकारी की भाँति मानदेय बैंक के माध्यम से देने तथा उनके सेवा के प्रमाणीकरण करने के सम्बन्ध में,

3-पूर्व स्नातक वेतनक्रम से प्रशिक्षित वेतनक्रम में सम्विलयित प्रदेश के राजकीय एवं गैर राजकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवा का लाभ देने के सम्बन्ध में,

4-कि अप्रैल, 2005 से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में,

5-कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित वेतन क्रम में कार्यरत स्नातकोत्तर योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को ग्रेड-1 वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में,

6-कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं अराजकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के रिक्त पदों पर चयन करने के सम्बन्ध में,

7-कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रणाली को समाप्त कर राज्य पोषित शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

8-कि प्रदेश के स्ववित्त पोषित विद्यालयों की नई संशोधित मान्यता की धारा 7-4 को समाप्त कर पूर्व धारा 7-4 के अन्तर्गत प्रदान की जाय,

9-कि प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में,

10-कि प्रदेश के अति निर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एक आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में,

11-कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शिक्षक पदों पर पदोन्नत करने के सम्बन्ध में,

12-कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अरबी व मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों का प्रतिमाह वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

13-कि अनुदानित माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में स्थानांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में,

14-कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के समस्त अवशेष भुगतान करने, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में वर्षों से लम्बित अवशेषों के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया को सरल करने के सम्बन्ध में,

15-कि प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्रवक्ताओं को विनियमित करने के सम्बन्ध में,

16-कि प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

17-प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त विषय/विभाग में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में,

18-कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 18 वर्ष आयु के बालक/बालिकाओं को बिना भेदभाव के अनिवार्य एवं निःशुल्क तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं अर्थ निरपेक्ष व्यवस्था प्रदान किये जान हेतु 05 किमी0 पर हाई स्कूल एवं 07 किमी0 पर इण्टरमीडिएट सहायता प्राप्त विद्यालयों के सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने तथा 1:40 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में,

19-कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय शारीरिक शिक्षा के साथ ही कम्प्यूटर तथा व्यवसायिक शिक्षकों के पद सृजित करने तथा उन पर नियुक्ति करने एवं पूर्व से योजना के अन्तर्गत शिक्षण कर रहे शिक्षकों को नियमित करने के सम्बन्ध में,

20-कि जनवरी, 2006 के पूर्व अवकाश प्राप्त शिक्षकों के पेंशन निर्धारण, न्यूनतम पेंशन को राजकीय कर्मचारियों एवं शिक्षकों के समान देने के सम्बन्ध में,

21-कि प्रदेश के अति पिछड़े विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में,

22-कि प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति पूरी सेवा में अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में,

23-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, पुस्तकालय आदि को संसाधनयुक्त बनाने की नीति के सम्बन्ध में,

24-कि राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षकों एवं अनुदानित महाविद्यालयों में निदेशालय से मानदेय प्राप्त कर रहे शिक्षकों के स्थायीकरण करने के सम्बन्ध में,

25-कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में,

26-कि प्रदेश की अक्टूबर, 1984 से पूर्व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पद सृजन कर अनुदान में लेने के सम्बन्ध में,

27-कि प्रदेश के असहायिक माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान पर लेने के सम्बन्ध में।"

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।